न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

93

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 779-तीन/2009 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17-3-2009 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 17/2008-09 पुनरावलोकन

राजधर पाण्डेय तनय इन्द्रपति प्रसाद पाण्डेय
ग्राम उमरी टोला रामप्यारे तहसील गुढ़
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

राजकुमार पाण्डेय तनय कमलाप्रसाद पाण्डेय
ग्राम उमरी टोला रामप्यारे तहसील गुढ़
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम)

आ दे श

(आज दिनांक 17 -07 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 17/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17-3-2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 653/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 26-3-2008 पर से अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 पुनरावलोकन पर पॅजीबद्व हुआ। अपर आयुक्त , रीवा संभाग रीवा ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 17-3-2009 पारित किया तथा आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 653/2006-07 में अभिलेख देखे बिना ही आदेश पारित किया गया है। केवल तकनीकी आधारों पर यह माना है कि अतिरिक्त कमिश्नर के न्यायालय के निगरानी प्रकरण में सम्मन दिनांक 14-12-2007 को भेजा गया था और सम्मन में ऐसा लिखा आया है कि सम्बन्धित व्यक्ति मिले, सम्मन लेने साफ इंकार किया। सम्मन में पांच गवाहों के हस्ताक्षर होना बताया गया और सम्मन निर्वहन हुये बिना ही तामील होना मानकर आदेश पारित करना गलत है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 17-3-2009 निरस्त किया जावे।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जब पक्षकार तामील लेने से मना करे तब तामील कराने वाले के पास यही विकल्प रहता है कि वह उपस्थित गवाहान के समक्ष तदाशय की टीप लगाये और उपस्थित ग्रामीणों/ पंचगणों के हस्ताक्षर साक्ष्य स्वरूप कराकर तामील वापिस करें। तहसीलदार ने तामीली प्रकिया का विधिवत् पालन कर टीप लगाते हुये तामील वापिस की है जिससे अपर आयुक्त सहमत रहे हैं और सम्मन पर पांच गवाहों के हस्ताक्षर होने एंव तामील न लेने की टीप होने से अपर आयुक्त ने ठीक आदेश पारित किया है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17-3-2009 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 653/2006-07 निगरानी में पारित आदेश ,

दिनॉक 26-3-2008 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के निम्न आधार बताये गये हैं :-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक के अभिभाषक अपर आयुक्त के समक्ष अथवा इस न्यायालय में यह समाधान नहीं करा सके हैं कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा से आदेश दिनॉक 26-3-2008 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल हो गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। इसके विपरीत अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17-3-2009 में स्पष्ट विवेचना कर पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया है कि आवेदक को सम्मन तहसीलदार गुढ के माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया तथा सम्मन तहसीलदार के माध्यम से इस टीप के साथ वापिस प्राप्त हुआ है कि सम्बन्धित व्यक्ति मिले, सम्मन लेने से साफ इंकार किया। सम्मन में पांच गवाहों के हस्ताक्षर है जिसके आधार पर आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया गया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17-3-2009 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 17/2008-09 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17-3-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर